

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

संख्या: 366-लेखापरीक्षा(एपी)/1-2009

20 अगस्त, 2009

दस्तावेज स्तर: स्तर II

तत्त्व: ग्राहक एवं पणधारी सम्बन्ध

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष

विषय: लेखापरीक्षिता संगठनों में घटित हुए विभिन्न अपराधों की जांच के सम्बन्ध में पुलिस/जांच प्राधिकारियों द्वारा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों से साक्ष्य के रूप में अभिलेखों तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों को बयान लेने हेतु तलब करना

महोदय/महोदया,

विभिन्न पुलिस/जांच प्राधिकारी, लेखापरीक्षिता संगठनों में घटित विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की मांग तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों से कर्मचारियों को गवाह के रूप में तलब करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें शक्ति प्रदान करने वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धाराएं 91(1) एवं 160(1), सुविधा हेतु नीचे दोहराई जाती हैं :-

धारा 91(1) जब कभी कोई न्यायालय अथवा किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी यह समझता हो कि किसी दस्तावेज अथवा अन्य वस्तु को इस संहिता के अन्तर्गत अथवा ऐसे न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा अथवा उसके समक्ष किसी जांच, पृच्छताछ, परीक्षण अथवा किसी अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से प्रस्तुत करना आवश्यक अथवा वांछित है, तो वह न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसके स्वामित्व अथवा अधिकार में वह दस्तावेज अथवा वस्तु मानी गई है, उससे समन अथवा आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होने तथा उसे प्रस्तुत करने अथवा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए समन अथवा लिखित आदेश जारी कर सकता है।

धारा 160 (1) इस अध्याय के अन्तर्गत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी, अपने लिखित आदेश के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसके अपने क्षेत्र के अन्दर आता हो अथवा किसी साथ लगते हुए स्टेशन की सीमा के अन्दर हो और दी गई अथवा अन्यथा सूचना से मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से अवगत प्रतीत होता हो, अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति को आवश्यकतानुसार उपस्थित होना होगा।

2. विभाग ने भ्रू-टाचार के मामलों को निपटाने में जांच एजेंसियों को हर सम्भव मदद देना आवश्यक समझा है बशर्ते भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वतन्त्रता से समझौता नहीं किया गया हो क्योंकि दोनों संगठनों के कार्यों का उद्देश्य एक ही है। दोनों संगठनों द्वारा अपने कर्तव्यों की पालना

**OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA, NEW DELHI**

No. 366- Audit (AP)/1-2009 August 20, 2009
Document Level: Level II Element: Client and Stakeholder
Relations

To

All the Heads of Departments in IA&AD

Subject:- Summoning of records for evidence and IA&AD officials for obtaining statements from the offices of the IA&AD by the Police/Vigilance Authorities in connection with the investigation of various offences committed in auditee organizations

Sir/Madam,

Various police/vigilance authorities have been requisitioning for the records as evidence and summoning officials as witnesses from IA&AD offices in connection with investigation of various offences in auditee organizations. Section 91(1) and 160(1) of the Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) empowering them in this regard are reproduced below for the sake of convenience:-

"Section 91(1) Whenever any Court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Code or by or before such Court or officer, such Court may issue a summons, or such officer, a written order, to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order."

"Section 160(1) Any police-officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case; and such person shall attend as so required."

2. The Department has always considered it necessary to extend all possible cooperation to the investigating agencies in dealing with the corruption cases so long as the independence of the C&AG of India and his officers/officials is not compromised because the purpose of functions of both the organizations is similar. In order to strike a balance in discharge of their duties by both the organizations, initially the Ministry

करने में सन्तुलन बनाए रखने के क्रम में, प्रारंभ में गृह मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श से भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों के अधिकार से दस्तावेजों की प्राप्ति के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 26.5.1952 (प्रति संलग्न) में अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी प्रावधान था कि जांच एजेंसी को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों के स्वामित्व वाले मूल दस्तावेजों को पढ़ने, समीक्षा करने एवं कॉपी करने (छाया प्रति करवाने सहित) की अनुमति दी जानी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, जहां जांच प्राधिकारी को मूल दस्तावेज की आवश्यकता हो, जांच प्राधिकारी गृह मंत्रालय को सन्दर्भ करेगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार विमर्श के बाद अनुरोध पर उचित कार्रवाई हेतु विचार करेगा एवं पुलिस द्वारा दस्तावेजों की मांग हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 94 (अब धारा 91) का सहारा लेना अनावश्यक होगा। गृह मंत्रालय को सन्दर्भ करने की आवश्यकता से छूट का गृह मंत्रालय का पत्र दिनांक 15.7.1955 जो कि गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 13.3.1964 द्वारा संशोधित किया गया (दोनों की प्रतियां संलग्न), पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को महालेखाकार को वांछित दस्तावेजों की पूर्ति हेतु अनुरोध करने के लिए अधिकृत करता है।

3. अनुदेश (उपरोक्त पैराग्राफ 2 में निहित) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ एवं राज्य सरकारों के लेखाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित दायित्वों के सम्बन्ध में जारी किए गए थे तथा संयुक्त लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा उनके लेखा कार्यों के नि=पादन में सृजित दस्तावेजों की पूर्ति के लिए थे। संघ सरकार के सम्बन्ध में, ये अनुदेश केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा जारी जांच नियमावली खण्ड 1 (संस्करण 2005) के अध्याय V में सम्मिलित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के लेखाओं का विभागीयकरण होने के परिणामस्वरूप, नियमावली के पैरा 5.4.3 के अनुसार अपेक्षित है कि पुलिस प्राधिकारियों को दस्तावेज मूल रूप में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा सौंपे जाएं चूंकि राज्य सरकारों के लेखे अभी भी महालेखाकारों (ले. व हक.) द्वारा रखे जा रहे हैं, अतः राज्य सरकारों के लेखाओं के रखरखाव से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों के सम्बन्ध में विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन जारी रहेगा।

4. लेखाओं की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक दायित्व के सम्बन्ध में पूर्व समय में यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या निरीक्षण प्रतिवेदनों, स्थानीय लेखापरीक्षा जांच प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार की प्रतियां आदि 'मूल दस्तावेजों' की श्रेणी में आती हैं एवं पुलिस तथा जांच प्राधिकारियों को उनकी पूर्ति की जा सकती है। इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 1704-टीए1/591-65 दिनांक 16.6.67 (प्रति संलग्न) द्वारा यह स्प=ट किया गया था कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आपत्ति मेमो आदि में लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताएं अथवा दो=ा सम्मिलित होते हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जहां

of Home Affairs had issued detailed instructions in consultation with the C&AG of India regarding obtaining of documents in possession of the IA&AD offices. Ministry of Home Affairs letter dated 26-5-1952 (copy enclosed), *inter alia*, provided that investigating authority should be permitted to peruse, scrutinize and copy (including taking of photocopy) of original documents in possession of IA&AD offices. In exceptional circumstances, where the investigating authority requires original documents, the investigating authority would make a reference to the Ministry of Home Affairs who would consider the request in consultation with the C&AG for appropriate action and it would be unnecessary for the police to resort to Section 94 (now Section 91) of Criminal Procedure Code for the purposes of requisitioning of the documents. Dispensing the requirement of making reference to the Ministry of Home Affairs, letter dated 15-7-1955 as amended vide letter dated 13-3-1964 (copies of both enclosed) of the Ministry of Home affairs authorized the officer of the level of the Additional Inspector General of Police to make a request to the Accountant General for arranging supply of the requisitioned document.

3. The instructions (contained in paragraph 2 above) were issued in the context of the then responsibilities of the C&AG of India in connection with the maintenance of accounts of the Union as well as the State Governments and were meant for supply of documents created in the combined Accounts and Audit offices in discharge of their accounting functions. As regards the Union Government, these instructions have been incorporated in Chapter V of Vigilance Manual, Volume I (2005 Edition) issued by the Central Vigilance Commission. Consequent upon the departmentalization of accounts of the Ministries and Departments of the Central Government, Para 5.4.3 of this Manual requires the Principal Accounts Officers etc of the Ministries/Departments concerned to hand over the documents in original to the police authorities. Since the accounts of the State Governments are still being maintained by the Accountants General (A&E) the existing instructions shall continue to be followed as regards the original documents related to the maintenance of accounts of the State Governments.

4. As regards the constitutional duties of the C&AG of India in relation to audit of accounts, question arose in the past whether copies of Inspection Reports, Local Test Audit Reports, correspondence relating to objection raised in audit etc. fall within the category of 'original documents' and can be supplied to the police and other investigating authorities. It was clarified in this office circular No. 1704-TA I/591-65 dated 16-6-1967 (Copy enclosed) that the Inspection Reports and objection memos etc issued by the IA&AD contain the various irregularities or defects noticed in audit which, according to the prescribed procedure, are issued to department concerned with copies to higher authorities at appropriate levels wherever necessary and are

आवश्यक हो उचित स्तर पर उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ सम्बन्धित विभाग को जारी किए जाते हैं एवं विभाग से उत्तरों की प्राप्ति के उपरान्त आगे जांच एवं समीक्षा के अध्यक्षीन होते हैं एवं इसलिए लेखापरीक्षा के अन्तिम नि=क=र्ण के रूप में नहीं माने जा सकते एवं, इसलिए "मूल दस्तावेज" शब्द के क्षेत्र में नहीं लाए जा सकते।

5. तथापि, इस कार्यालय के ध्यान में यह आया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने वाले दस्तावेजों को पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित अनुदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न अपराधों की जांच के उद्देश्य हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक लेखापरीक्षा कार्यों से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज की मांग के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों की पालना की जायेगी:-

(क) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जब तक वे संसद/राज्य/संघ क्षेत्र की विधायिका में प्रस्तुत न कर दिए जाएं गोपनीय दस्तावेज माने जाते हैं। तदनुसार, इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 30.10.2003 (प्रति संलग्न) द्वारा यह अनुदेश दिए गए थे कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समस्त सामग्री सरकार/विभागों को ड्राफ्ट पैराग्राफों को जारी होने की अवस्था से लेकर संसद/विधायिका में प्रस्तुत करने की अन्तिम अवस्था तक सही अर्थ में गोपनीय मानी जायेगी। यह देखने के लिए कि प्रत्येक अवस्था में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने के विरुद्ध विधायिका में प्रस्तुत करने तक सुरक्षित है पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। ड्राफ्ट पैरा/ड्राफ्ट समीक्षाएं जो गोपनीय रखी जाती हैं, को मुख्यालय को अनुमोदनार्थ अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार, विभागीय कार्यालयों आदि को तथ्यों के सत्यापन अथवा टिप्पणियों मंगाने हेतु प्रेषित करते समय गोपनीयता बनाए रखने के क्रम में निरपवाद रूप से गोपनीय चिह्नित किया जाना चाहिए।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 की अपेक्षाओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत एवं भारत की संसद के सदनों, सम्बन्धित राज्य की विधायिका, जैसा भी मामला हो, के समक्ष विधिवत रखा गया, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम एवं मुद्रित दस्तावेज होता है एवं पुलिस तथा अन्य जांच प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाया जा सकता है यदि उनके द्वारा मांगा जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसमें दिए गए नि=क=र्ण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की संवीक्षा पर आधारित हैं एवं लेखापरीक्षिती संगठन के विभिन्न व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं द्वारा की गई भूलों एवं चूकों का अन्तिम साक्ष्य नहीं हो सकते।

subject to further examination and review on receipt of replies from the department and as such cannot be considered to be final conclusions of audit and, therefore, cannot be brought within the scope of the term, 'original document'.

5. However, it has come to the notice of this office that some field offices are not following the instructions regarding production of documents leading to the finalization of the Audit Reports of the C&AG of India to the police and other investigating authorities. It has, therefore, been decided that following instructions shall be followed by the field offices in IA&AD in the matter of requisition of any documents related to the statutory audit functions of the C&AG of India by the police and other investigating authorities for the purpose of investigation of various offences:-

- (a) According to existing instructions, Audit Reports are treated as confidential documents till they are presented to Parliament/State/UT Legislature. Accordingly, it was instructed vide this office circular letter dated 30-10-2003 (copy enclosed) that all materials relating to the Audit Reports will have to be treated as strictly confidential right from the stage of issue of preliminary draft paragraphs to Government / Departments till the final stage of presentation to the Parliament/Legislature. Adequate care should be taken at every stage to see that the Audit Report materials are secured against use by outsiders till they are presented to the Legislature. The draft paras/draft reviews which are also considered as confidential should be marked invariably as confidential in order to maintain secrecy, while sending them to the Headquarters Office for approval or to the Government of India, State Government, Departmental Offices, etc., for verification of facts or calling for comments
- (b) The Audit Report of the C&AG of India presented to the President of India, Governor of a State and duly laid before the House(s) of the Parliament of India, Legislature of the State concerned, as the case may be, in terms of the requirements of Article 151 of the Constitution of India is the final and published document and can be made available to the police and the other investigating authorities if so required by them. While making available the Audit Report it may, however, be made clear that findings recorded therein are based on scrutiny of records/documents made available to the audit and may not be conclusive proof of acts of omission and commission of various individual functionaries of the auditee organization.

- (ग) संसद के सदनों अथवा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षिती संगठन के विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों, वाउचरों, पत्राचार आदि पर निर्भर रहता है, जो प्रायः 'कुंजी-दस्तावेज' कहलाते हैं। चूंकि भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों आदि का मूलक नहीं होता है, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा उनकी पूर्ति एवं उन पर उसका कथन सम्बन्धित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमत नहीं है। इसलिए, पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को जिन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय निर्भर रहा गया था उनके द्वारा हमारे विभाग से इनकी मांग करने की अवस्था में लेखापरीक्षिती संगठन के सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त करने का परामर्श दिया जा सकता है। तथापि, किसी लेखापरीक्षा पैरा की प्रति पर चिन्हित कुंजी-दस्तावेजों की सूची (न कि कुंजी दस्तावेज), जो जांच का विषय हो सकता है, पुलिस तथा अन्य जांच प्राधिकारियों को उनसे लिखित अनुरोध आने पर प्रदान की जा सकती है ताकि उन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों से आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने में सुविधा हो।
- (घ) भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, विभिन्न स्तर के कार्यकारियों के प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा नि=क=र्णों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व अपनी स्थिति स्प=ट करने का अवसर देने की प्रक्रिया अपनाता है। इस प्रक्रिया में वृहद मात्रा में अभिलेख/दस्तावेज जैसे लेखापरीक्षा ज्ञापन, हॉफ मार्जिन, निरीक्षण प्रतिवेदन, स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तथ्यों की विवरणियां, लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षिती संगठन के मध्य हुआ पत्राचार ड्राफ्ट पैराग्राफ आदि सृजित किए जाते हैं। ये उचित प्राधिकारियों के उत्तर के आधार पर परिवर्तनीय होने के कारण अमुद्रित अधिकृत दस्तावेज होते हैं जो विभाग के अन्तिम दृ=टकोण को नहीं दर्शाते। इसलिए, ये अभिलेख/दस्तावेज उपरोक्त पैरा 4 में सन्दर्भित 'मूल दस्तावेज' की श्रेणी में नहीं आते एवं पुलिस तथा अन्य जांच प्राधिकारियों को उन्हें पेश करने के लिए आग्रह न करने की सलाह देनी चाहिए।
- (ङ) यदि पुलिस अथवा जांच प्राधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति हेतु आग्रह करते हैं, तो वह उन्हें दी जा सकती है। उन्हें यह इंगित कर देना चाहिए कि मूल प्रतिवेदन सम्बन्धित लेखापरीक्षिती संगठन को पहले ही जारी कर दिया गया था। उन्हें स्प=ट रूप से यह सूचित कर देना चाहिए कि निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धित लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा दी गई एवं उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। लेखापरीक्षिती संगठन की तरफ से कोई गलत सूचना देने एवं/अथवा सूचना न देने का कोई दायित्व लेखापरीक्षा कार्यालय एवं इसके अधिकारी/कर्मचारी नहीं लेते।

- (c) In the finalization of the Audit Report laid before the House(s) of the Parliament or the State Legislature, the IA&AD relies on varied records, documents, vouchers, correspondence of the auditee organizations, etc., generally called as 'key documents'. Since IA&AD is not the originator of such records, documents etc, their supply by any official of IA&AD and his testimony thereon is inadmissible under the relevant provisions of Indian Evidence Act. Therefore, the police and the other investigating agencies may be advised to obtain such documents relied on in the finalization of the Audit Report from the concerned authorities of the auditee organizations in case these are requisitioned by them from our Department. However, list of key documents (and not key documents themselves) marked on a copy of the audit para that may form the subject of investigation may be provided to the police and other vigilance authorities on written requests from them so as to facilitate obtaining of the necessary documents from the authorities concerned.
- (d) The IA&AD follows a procedure of giving opportunity to the authorities of the Executives at various levels to explain their position before the audit findings are included in the Audit Report of the C&AG of India. In this process a large number of records/ documents such as audit memos, half margins, inspections reports, local audit reports, statement of facts, correspondence made between the audit and auditee organization, draft Paragraphs, etc., are created. These being subject to change based on the replies of the appropriate authorities are unpublished official documents that do not reflect the final view of the department. Therefore, these records/documents do not fall in the category of 'original documents' referred to in para 4 above and the police and other investigating authorities should be advised not to insist for their production.
- (e) If the police or investigative authorities insist, a copy of the inspection report or local audit report may be given to them. It should be pointed out to them that the original report was already issued to the concerned auditee organization. They should also be clearly informed that the inspection report or the local audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the concerned auditee organization. The Audit Office and its officers/officials disclaim any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of the auditee organization.

- (च) चूंकि संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधायिका के समक्ष विधिवत रूप से रखा गया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम एवं एकमात्र दस्तावेज होता है जो विभाग के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है, अतः पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों को विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय विभिन्न स्तरों पर अपने अधिकृत दायित्व के निर्वहन के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के किसी विशेषानिर्णय हेतु चिन्हित न करने की सलाह देनी चाहिए। गृह मंत्रालय का दिनांक 1.6.1965 का पत्र (प्रति संलग्न) भी इस विषय में स्पष्ट है।
- (छ) पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों की जांच तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं के भूल एवं चूक वाले कार्यों को उजागर करना होता है। दूसरे शब्दों में पुलिस/जांच प्राधिकारियों एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यों में कतिपय समानताएं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस एवं जांच प्राधिकारियों को सभी संभव सहायता प्रदान की जाए। ऐसी सहायता संसद/राज्य विधायिका के समक्ष विधिवत रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों को समझाने में तकनीकी सहायता के रूप में होगी। तदनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों से भली भांति परिचित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस/जांच प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों को समझाने में तकनीकी सहायता पहुँचाने का कार्य सौंपा जा सकता है, उन्हें हिदायत दी जानी चाहिए कि वे स्वयं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए अन्तिम निष्कर्षों तक सख्त रूप से सीमित रखें। जहां तक संभव हो, जांच अधिकारियों से आवश्यक बातचीत सम्बन्धित लेखापरीक्षा कार्यालय परिसर में ही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में, क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथा को ध्यान में लाना आवश्यक है। सम्बन्धित कार्यालय ने पुलिस को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक मामले से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्ति एवं इसे सम्मिलित कराने की प्रक्रिया के दौरान सृजित अन्य सम्बन्धित कागजात प्रदान किए थे। पुलिस ने लेखापरीक्षा के दौरान मामले को खोजने वाले लेखापरीक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए थे। तत्पश्चात्, उन कर्मचारियों को पुलिस द्वारा अभियोजन साक्षी बनाया गया। जैसाकि सुस्पष्ट है, लेखापरीक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों को साक्षी बनाने से अनावश्यक तकलीफ हो सकती है क्योंकि कुछ मामलों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालयों के सामने उपस्थित होने के लिए कहा जायेगा। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि एक बार कोई लेखापरीक्षा कर्मचारी जांच अधिकारी के समक्ष बयान देता है तो उसे न्यायालय में भी बयान देना होता है यदि पुलिस अपराध सिद्ध करने हेतु उसके कथन पर निर्भर रहती है। यह भी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित किसी व्यक्तिगत कर्मचारी का कथन सम्मिलन की किसी अवस्था/पहलू को भ्रामक सिद्ध कर

- (f) Since the Audit Report of the C&AG duly placed before the House(s) of the Parliament or State Legislature is the final and the only document reflecting the views of the Department, the police and other investigating authorities may be advised not to identify any official/officer of the Department performing his official duties at various stages of finalization of the Audit Report with any particular finding in the Audit Report. Ministry of Home Affairs letter dated 1-6-1965 is also clear in this regard (copy enclosed).
- (g) The purpose of investigation by the police and other investigating authorities and audit of accounts by the C&AG of India is to bring home the acts of omission and commission of various Government functionaries. In other words, there are certain similarities in the functions of police/investigating authorities and the C&AG of India. Therefore, it is necessary that all possible help is provided to the police and investigating authorities. Such help shall be in the nature of technical assistance in understanding of the observations made in the Audit Report duly placed before the Parliament/State Legislature. Accordingly, while the officers/officials well acquainted with the observations in the Audit Report may be assigned the work of rendering necessary technical assistance to the police/investigating authorities in understanding the observations in the Audit Report, they should be advised to strictly restrict themselves to the final conclusions made in the Audit Report. As far as possible, necessary interaction with the investigating officers should be held within the premises of the concerned Audit Office itself. In this context, it is necessary to bring to notice the incorrect practice followed in one of the field offices. The concerned office provided to the police audit objection and other papers created in the process of inclusion of a paragraph related to a corruption case in the Audit Report. The police also recorded the statement of the audit officers/officials who detected the matter during audit. Subsequently, those officials were made prosecution witnesses by the police. As is evident, making of audit officers/officials as witnesses could cause needless hardship as in some cases the officials would be asked to appear before the police officers and courts even after retirement. It may also be kept in mind that once any audit official deposes before the investigating officer, he has to also depose before the court in case the police rely on his testimony for proving of the charge. Also, testimony of individual officials associated with any particular stage/aspect of inclusion of an audit finding in the Audit Report is likely to prove misleading and result in miscarriage of justice because findings recorded in the Audit Report laid before the Parliament or State Legislature alone would reflect the views of the Department. On the contrary, inferences

सकता है एवं परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हो सकती है क्योंकि संसद अथवा राज्य विधायिका के समक्ष रखा गया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मात्र विभाग के दृष्टिकोण को ही प्रतिबिम्बित करेगा। इसके विपरीत, आंशिक साक्ष्यों से निकाला गया निष्कर्ष अथवा मध्यवर्ती अवस्था में न तो अन्तिमता और न ही वास्तविकता होगी। भविष्य में ऐसी स्थिति के परिहार हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया के दौरान सृजित किसी भी दस्तावेज की मांग करने वाले पुलिस प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में उनसे प्राप्त अनुरोध के तुरन्त पश्चात् उपरोक्त मार्गदर्शकों को अवगत करा देना चाहिए। विभागाध्यक्ष भी, यदि आवश्यक हो तो, मामले को पुलिस एवं अन्य जांच प्राधिकारियों के उच्च प्राधिकारियों से ऐसे मामलों में भा. द.सं. की धारा 160(1) का सहारा न लेने हेतु उठा सकते हैं।

- (ज) यदि इन अनुदेशों की पालना की जाए, तो पुलिस अथवा अन्य जांच प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की तैयारी करने से सम्बन्धित अपने अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन करने वाले किसी अधिकारी/कर्मचारी से पूछताछ करने की शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्रांक 242/41/65-ए वी डी दिनांक 1.6.1965 में पुलिस विभाग के जांच अधिकारी को महालेखाकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से महालेखाकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नामित अधिकारी की उपस्थिति में बयान लेने की अनुमति देने का प्रावधान है। इसलिए पुलिस अथवा अन्य जांच प्राधिकारियों को अधिकारियों/कर्मचारियों से महालेखाकार द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में लेखापरीक्षा कार्यालय में ही बयान लेने की सलाह दी जानी चाहिए, यदि किसी अपवादात्मक मामले में, पुलिस द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछताछ आवश्यक मानी जाती है।
- (झ) पुलिस तथा जांच प्राधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने से भ्रान्त नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मुख्यालय से अलग अनुदेश जारी किए गए थे। आपराधिक संहिता के अनुसार प्रथम के वैधानिक तात्पर्य हैं जबकि, दूसरा सिविल संहिता के अनुसार लागू होता है एवं उसका क्षेत्र एवं प्रभाव भिन्न है।
- (ञ) संदिग्ध धोखे अथवा भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में, इस कार्यालय के पत्रांक 126/आडिट (एपी)/2004 दिनांक 6.9.2006 द्वारा प्रचलित धोखे एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों में लेखापरीक्षा की भूमिका से सम्बन्धित स्थायी आदेशों में निहित अनुदेशों को ध्यान में रखा जा सकता है।

6. ये अनुदेश मात्र मार्गदर्शन हेतु हैं एवं दोनों सेवारत तथा पूर्व अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होते हैं। स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न अवसरों पर उठाई गई शंकाओं को भार-भार पूछे गए प्रश्नों का भी संगलन उत्तरों द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया है। तथापि, विभागों की प्रकृति में मामले के प्रत्येक पहलू पर अनुदेश निर्धारित करना न तो आवश्यक है और न ही संभव है। यदि

drawn from partial evidence or incomplete examination thereof, at an intermediate stage, would have neither finality nor authenticity. In order to avoid such situation in future, the police and other investigating authorities demanding the production of any of the documents created in the course of inclusion of audit findings in the Audit Report should be apprised of the above guidelines immediately on receipt of their request in this regard. The Heads of Department may also, if necessary, take up the matter with the higher authorities of the police and other investigating authorities for not resorting to Section 160(1) of Cr.PC in such matters.

- (h) If these instructions are followed, there should perhaps not be any need for the police or other investigating authorities to question any officers/officials discharging his official duties in relation to preparation of Audit Reports. The letter No.242/41/65-AVD dated 1-6-1965 issued by the Ministry of Home Affairs provides for permitting the Investigating Officer of the Police Department to take statement from Accountant General's officers/officials in the presence of an officer nominated by the Accountant General for the purpose. Therefore, the police or other investigating authorities may be advised to take statements of officers/officials in the audit office itself in the presence of an officer nominated by the Accountant General if, in any exceptional case, questioning of such officers/officials is considered necessary by the police.
- (i) Producing documents before police and investigating authorities should not be confused with providing information under the Right to Information Act, 2005, for which separate instructions were issued from Headquarters Office. While the former has legal implications in terms of criminal law, the latter mainly operates in the civil law and has different scope and operation.
- (j) In respect of cases of suspected fraud or corruption, the instructions contained in the Standing Order on role of Audit in relation to cases of Fraud and Corruption circulated vide this Office letter No.126/Audit (AP)/2004 dated 6-9-2006 may be kept in view.

6. These instructions are for guidance only and are applicable both to serving as well as former officers/officials. In order to make the position clear the doubts raised by the field offices on various occasions have also been clarified in the enclosed Answers to Frequently Asked Questions. However, in the nature of things, it is neither necessary nor possible to lay down instructions on every aspect of the matter. If any matter cannot be resolved under these instructions, the field offices

कोई मामला इन अनुदेशों के अन्तर्गत न सुलझाया जा सके, तो क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसा मामला पूर्ण ब्यौरे के साथ पुलिस अथवा अन्य जांच प्राधिकारियों से मांग प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् इस कार्यालय में निदेशक (विधि) को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि मामले में आगे की उलझनों का परिहार किया जा सके।

7. आप अपने राज्य में पुलिस अधिकारियों को, जहां आवश्यकता महसूस हो, आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु समुचित ढंग से इन अनुदेशों को अपने राज्य के गृह विभाग के सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(बी.बी.पंडित)

महानिदेशक (लेखापरीक्षा)

are advised to report such a matter with full details to Director (Legal) in this office, immediately on receipt of requisition from the police or other investigating authorities, so as to avoid further complications in the case.

7. You may suitably bring these instructions to the concerned authorities in the Home Department of your State, for issuing necessary instructions to the police officers in your State to the extent found necessary.

Yours faithfully,

Encl. As above.

(B.B. Pandit)

Director General (Audit)

प्रायः पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

- | प्रश्न | उत्तर |
|---|--|
| 1) क्या एक पुलिस अधिकारी एक मामले की जाँच के उद्देश्य से किसी सरकारी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए एक सरकारी कार्यालय को आदेश दे सकता है? | दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 91(1) के अनुसार, जब कभी भी एक अदालत अथवा एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी समझता है कि इस संहिता के अन्तर्गत अथवा इसके द्वारा या ऐसी अदालत या अधिकारी के सामने किसी जाँच, पृछताछ, परख अथवा अन्य कार्रवाई के उद्देश्य के लिए किसी दस्तावेज़ अथवा दूसरी वस्तु को प्रस्तुत करना आवश्यक अथवा वांछनीय है, तो ऐसी अदालत अथवा ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति जिसके अधीन क्षेत्र अथवा अधिकार में ऐसे दस्तावेज़ या वस्तु के होने का विश्वास किया जाता है, सम्मन अथवा आदेश में कथित समय और स्थान पर उस व्यक्ति के हाजिर होने तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए अथवा इसे प्रस्तुत करने के लिए, एक सम्मन अथवा एक लिखित आदेश जारी कर सकते हैं।" अतः पुलिस स्टेशन के प्रभारी अथवा इसके ऊपर के स्तर के पुलिस अधिकारी किसी मामले की जाँच करने, परख करने अथवा दूसरी कार्रवाई के उद्देश्य के लिए किसी सरकारी कार्यालय को कोई सरकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने में सक्षम हैं। |
| 2) क्या किसी सरकारी कार्यालय को सरकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए पुलिस के आदेश का अनुपालन करना कानूनन अनिवार्य है? | भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष के स्तर के अधिकारी की अनुमति, जिसे वह उपयुक्त समझता है, प्रदान करे अथवा रोक ले, को छोड़कर किसी सरकारी कार्य से सम्बन्धित अप्रकाशित सरकारी अभिलेख से प्राप्त किसी साक्ष्य को देने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 124 में प्रावधान है कि जब वह समझे कि इसे बताने से लोक हित |

Answers to Frequently Asked Questions

<i>Question</i>	<i>Answer</i>
1) Can a police officer order a Government office to produce any official document for the purpose of investigation of a case?	According to Section 91(1) of the Criminal Procedure Code, 1973, whenever any Court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Code or by or before such Court or officer, such Court may issue a summons, or such officer a written order, to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summon or order." Therefore, police officers of the level of in charge of police station and above are competent to order a Government office to produce any official document for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceedings of a case.
2) Is it mandatory for a Government office to comply with the order of the police for production of official documents?	According to Section 123 of Indian Evidence Act, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the Department concerned who shall give or withhold such permission as he thinks fit. Further, Section 124 of this Act provides that no one shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when

को नुकसान पहुँचेगा, कार्यालयीन विश्वास में उससे किए गए सम्बन्ध को बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। साक्ष्य अधिनियम के इन प्रावधानों के अधीन एक सरकारी कार्यालय किसी मामले की जाँच करने, पूछताछ करने, परख करने के उद्देश्य के लिए सरकारी दस्तावेज़ों को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

3) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय के लिए अपने निजी कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए पुलिस के आदेश का अनुपालन करना कानूनन अनिवार्य है?

(1) और (2) के सामने दिया गया स्प=टीकरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए समान रूप से लागू होता है यदि पुलिस द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ और अभिलेख स्वयं भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के प्रशासन से सम्बन्धित हों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक कार्यों अर्थात् लेखाओं का रख-रखाव, हकदारी कार्यों और लेखाओं की लेखापरीक्षा को करने से सम्बन्धित न हो।

4) यदि पुलिस अथवा दूसरी जाँच एजेंसियों को लेखाओं और हकदारी कार्यों के रखरखाव से सम्बन्धित दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में लेखाओं एवं हकदारी कार्यालय को क्या करना चाहिए?

राज्य सरकार के लेखाओं एवं हकदारी कार्यों के रखरखाव से सम्बन्धित दस्तावेज़ों को पुलिस और दूसरे जाँच प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के मामलों में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी दिनांक 15.7.1955 के कार्यालय ज्ञापन एवं 13.3.1964 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा संशोधित गृह मंत्रालय के दिनांक 26.5.1952 में अन्तर्वि=ट अनुदेशों का लेखाओं एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा अनुसरण किया जाना जारी रहेगा। यदि कोई लेखा एवं हकदारी कार्यालय मामले के विशेष=त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज़ों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता पर निर्णय लेने की स्थिति में न हो तो सन्देह का बिन्दुवार स्प=ट रूप से वर्णन करते हुए समस्त सुसंगत विवरणों के साथ मामले को इस कार्यालय में निदेशक (विधिक) को परामर्श हेतु विचारार्थ तुरन्त भेजा जाए।

he considers that public interest would suffer by the disclosure. Subject to these provisions in the Evidence Act, a Government office is bound to produce official documents to the police for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceedings of a case.

- 3) Is it mandatory for an IA&AD office under the C&AG of India, to comply with the order of the police for production of an official document related to administration of its own affairs?
- Clarification given against (1) and (2) applies to an IA&AD office under the C&AG of India equally if the document or record demanded by the police related to administration of the IA&AD office itself and not to the discharge of the constitutional functions of the C&AG of India i.e. maintenance of accounts, entitlement functions and audit of accounts.
- 4) What should an Accounts and Entitlement office in IA&AD do if the police or other investigating agencies require for production of a document related to the maintenance of accounts and entitlement functions?
- Instructions contained in Ministry of Home Affairs OM dated 26-5-1952 as amended vide OM dated 15-7-1955 and 13-3-1964 issued in consultation with the C&AG of India shall continue to be followed by the Accounts and Entitlement Offices in the matters of production of documents to the police and other investigating authorities related to the maintenance of accounts and entitlement functions of the State Government. In case any Accounts and Entitlement office is not in a position to take a decision on the requisition for production of documents considering the specific facts and circumstances of the case, the matter may be referred to Director (Legal) in this office for advice immediately with all relevant details clearly bringing out the points of doubt.

- 5) क्या पुलिस और दूसरे जाँच प्राधिकारी नहीं। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सभा के समक्ष इसे रखे जाने से पूर्व भारत के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे अभी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा संसद के सदनों और राज्य विधान प्रतिवेदन के किसी दूसरे प्राधिकारी को प्रस्तुत सभा के पटल पर रखा जाना है, के करने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित संसद और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश दे सकते राज्य विधान सभा के विशेष-1 अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा।
- 6) यदि पुलिस या कोई दूसरा जाँच संसद के सदनों अथवा राज्य विधान सभा के प्राधिकारी भारत के नियंत्रक-पटल पर रखे गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा निपटान में भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने के संसद के सदन (सदनों) अथवा राज्य विधान लिए लेखापरीक्षा का आधार बनाए मंडल के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन गए लेखापरीक्षित संगठन के दस्तावेज़ को अन्तिम रूप देने में भारतीय लेखा एवं की मांग करता है, तब लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेज़ों, कार्यालय को क्या करना चाहिए? वाञ्छित, लेखापरीक्षित संगठन के पत्राचार इत्यादि जिन्हें सामान्यतया मूल दस्तावेज़ कहा जाता है, पर आश्रित रहता है। चूंकि ऐसे अभिलेख, दस्तावेज़ आदि मूलतः भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के नहीं हैं, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा उनकी आपूर्ति और उस पर उसका साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अस्वीकार्य हैं। अतः पुलिस और दूसरी जाँच एजेंसियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए आश्रय लिए गए ऐसे दस्तावेज़ों को यदि उनके द्वारा इनकी मांग हमारे विभाग से की जाती है तो लेखापरीक्षा करवाने वाले संगठन के सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त करने की सलाह दी जाए। फिर भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/पैराग्राफ की एक प्रति पर यथावत् चिह्नित किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफ/संवीक्षा में आश्रय लिए गए मूल दस्तावेज़ों की सूची (न कि उनके अपने मूल दस्तावेज़) प्रदान की जा सकती है, ताकि सम्बन्धित प्राधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज़ों को प्राप्त करने में पुलिस को सहायता मिले।

- 5) Can the police and other investigating authorities order for production of the Audit Report of the C&AG of India which is yet to be laid before the Houses(s) of the Parliament and State Legislature?
- No. Production of the Audit Report of the C&AG of India to any other authority prior to its laying before the Houses of the Parliament and the State Legislature shall result into breach of privilege of the Parliament and the State Legislature concerned.
- 6) What should an audit office do if the police or any other investigating authority demands documents of auditee organizations relied by the audit in finalization of the Audit Reports of the C&AG of India?
- In the finalization of the Audit Report laid before the House(s) of the Parliament or the State Legislature, the IA&AD relies on varied records, documents, vouchers, correspondence of the auditee organizations etc generally called as key documents. Since IA&AD is not the originator of such records, documents etc, their supply by any official of IA&AD and his testimony thereon is inadmissible under the relevant provisions of Indian Evidence Act. Therefore, the police and the other investigating agencies may be advised to obtain such documents relied on in the finalization of the Audit Report from the concerned authorities of the auditee organizations in case these are requisitioned by them from our Department. However, list of key documents (and not key documents themselves) relied on in audit paragraphs/reviews duly marked on a copy of audit report/paragraph may be provided so as to facilitate the police in collecting necessary documents from the concerned authorities.

7) यदि पुलिस अथवा अन्य दूसरी जाँच एजेन्सी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में लेखापरीक्षा कार्यालय में तैयार किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापन, हाफ मार्जिन, निरीक्षण प्रतिवेदन जैसे दस्तावेजों की मांग करते हैं, तो लेखापरीक्षा कार्यालय को क्या करना चाहिए ?

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा नि=क=र् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व विविध स्तरों पर कार्यकारियों के प्राधिकारियों को अपनी स्थिति स्प=ट करने का एक अवसर प्रदान करने की कार्य प्रणाली का अनुसरण करता है। इस प्रक्रिया में भड़ी संख्या में लेखापरीक्षा ज्ञापन हाफ मार्जिन, निरीक्षण प्रतिवेदन, स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तथ्यों के विवरण, लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा करवाने वाले संगठन के बीच के पत्राचार, ड्राफ्ट पैराग्राफ इत्यादि जैसे अभिलेख/दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। उपयुक्त प्राधिकारियों के उत्तरों पर आधारित परिवर्तन के अध्यक्षीन ऐसे अप्रकाशित सरकारी दस्तावेज विभाग की अन्तिम राय नहीं दर्शाते। अतः यह दस्तावेज/अभिलेख 'मूल दस्तावेजों' की श्रेणी में नहीं आते। विभागाध्यक्ष (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) के स्तर पर अधिकारी की अनुमति से इतर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 किसी सरकारी कार्य से सम्बन्धित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से व्युत्पन्न साक्ष्य पर रोक लगाती है। अतः पुलिस और अन्य जाँच प्राधिकारियों को ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए भाध्य न करने की सलाह दी जानी चाहिए। संसद के सदनों अथवा सम्बन्धित विधान सभा के पटल पर यथावत् रखा गया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अकेला अन्तिम और प्रकाशित दस्तावेज है और पुलिस/ जाँच प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध करते समय यह स्प=ट किया जा सकता है कि उसमें अभिलिखित नि=क=र् लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों/दस्तावेजों, पर आधारित हैं और लेखापरीक्षित संगठन के विभिन्न व्यक्तिगत पदाधिकारियों के कार्याधिकार और चूक के कृत्यों के निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकते।

- 7) What should an audit office do if the police or any other investigating agency demand documents like audit memo, half margin, inspection report etc created in an audit office in the process of finalization of the Audit Report of the C&AG of India?
- The IA&AD follows a procedure of giving opportunity to the authorities of the Executives at various levels to explain their position before the audit findings are included in the Audit Report of the C&AG of India. In this process a large number of records/documents such as audit memos, half margins, inspections reports, local audit reports, statement of facts, correspondence made between the audit and auditee organization, Draft Paragraphs, etc. are created. Being subject to change based on the replies of the appropriate authorities, such unpublished official documents would not reflect the final view of the department. Therefore, these records/documents do not fall into the category of 'original documents'. Section 124 of the Indian Evidence Act bars giving of evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of the State, except with the permission of the officer at the Head of the Department (C&AG of India). Therefore, the police and other investigating authorities should be advised not to insist for production of such documents. Audit Report of the C&AG of India duly placed before the House(s) of the Parliament or the concerned State Legislature alone is the final and published document and can be provided to the police/ investigating authorities. While making available the Audit Report it may, however, be made clear that findings recorded therein are based on scrutiny of records/documents made available to the audit and may not be conclusive proof of acts of omission and commission of various individual functionaries of the auditee organization.

- 8) क्या पुलिस अथवा जाँच करने वाले प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति दी जा सकती है?
- यदि पुलिस अथवा जाँच करने वाले प्राधिकारी बाध्य करते हों तो जाँच प्रतिवेदन अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति उनको दी जा सकती है। उनको यह ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि मूल प्रतिवेदन सम्बन्धित लेखापरीक्षित संगठन को पहले ही जारी कर दिया गया है। उनको स्प=ट रूप से सूचित भी किया जाना चाहिए कि निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा स्थानीय जाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धित लेखापरीक्षित संगठन के द्वारा प्रस्तुत की गई और उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा कार्यालय और इसके अधिकारी/कर्मचारी किसी गलत सूचना और/अथवा सूचना के प्रति लेखापरिक्षित संगठन के पक्ष पर किसी जिम्मेवारी को अस्वीकार करते हैं।
- 9) क्या पुलिस एक सरकारी कर्मचारी को किसी अपराध की जाँच करने के सम्बन्ध में अपने सामने प्रत्यक्षदर्शी की तरह पेश होने के लिए आदेश दे सकती है?
- हाँ। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(1) के अधीन इस अध्याय के अन्तर्गत जाँच करते हुए किसी पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा, अपने सामने उसके अपने अथवा किसी निकटवर्ती स्टेशन की सीमा के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति, जो दी गई अथवा भिन्न सूचना के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित दिखाई पड़ता है, के उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ सकती है; और ऐसा व्यक्ति ऐसी आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। इस सम्बन्ध में नीचे क्रम संख्या 10 के सामने के उत्तर को भी देखा जाए।
- 10) यदि लेखापरीक्षा करते हुए अथवा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से जुड़े किसी कर्मचारी को पुलिस अथवा दूसरे जाँच पड़ताल करने वाले प्राधिकारियों द्वारा मामले की जाँच के सम्बन्ध में प्रश्न करने के लिए बुलाया जाता है तो लेखापरीक्षा कार्यालय को क्या करना चाहिए?
- जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 7 के सामने पहले ही स्प=ट किया गया है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में तैयार किए गए विविध दस्तावेज़ अप्रकाशित सरकारी अभिलेख होते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 द्वारा अनुमत विशेष अधिकार न केवल दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने बल्कि उनकी अन्तर्वस्तु अथवा उनसे व्युत्पन्न तथ्यों के लिए साक्ष्य देने के लिए भी विस्तार

- 8) Can a copy of the inspection report or local audit report be given to police or investigative authorities?
- If the police or investigative authorities insist, a copy of the inspection report or local audit report may be given to them. It should be pointed out to them that the original report was already issued to the concerned auditee organization. They should also be clearly informed that the inspection report or the local audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the concerned auditee organization. The Audit Office and its officers/officials disclaim any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of the auditee organization.
- 9) Can the police order a Government servant to appear before them as witness in connection with investigation of any offence?
- Yes. Under Section 160(1) of the Criminal Procedure Code, any police-officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case; and such person shall attend as so required. The answer against SI. No.10 below may also be seen in this connection.
- 10) What should an audit office do if an official conducting audit or any manner associated with the finalization of the Audit Report of the C&AG of India is called upon by the police or other investigating authorities for questioning in connection with investigation of a case ?
- As already clarified against SI. No. 7 herein above, various documents created in the process of finalization of the Audit Report are unpublished official records. The privilege recognized by Section 123 of the Evidence Act extends not only to production of documents but also to giving evidence as to their contents or as to facts derived there from. Therefore, the police and other

करता है। इसलिए पुलिस और जाँच करने वाले दूसरे प्राधिकारियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के साथ किसी स्तर पर सम्बन्धित किसी व्यक्तिगत अधिकारी की पहचान न करने की सलाह दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 जून 1965 के पत्र संख्या 242/41/65-ए वी डी में प्रावधान है कि प्रयोजन के लिए महालेखाकार द्वारा नामित एक अधिकारी की उपस्थिति में महालेखाकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से वक्तव्य लेने के लिए पुलिस विभाग के जाँच करने वाले अधिकारी को अनुमति दी जाए। अतः पुलिस अथवा जाँच करने वाले दूसरे प्राधिकारी महालेखाकार द्वारा नामित एक अधिकारी की उपस्थिति में लेखापरीक्षा कार्यालय में ही अधिकारियों/कर्मचारियों के वक्तव्यों को लेने की सलाह दी जाए, यदि किसी अपवादात्मक मामले में, पुलिस द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रश्न करना आवश्यक समझा जाए।

- 11) क्या पुलिस अथवा जाँच प्राधिकारियों के सामने दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मुहैया कराने में सहसम्बन्ध है?

नहीं। पुलिस और जाँच प्राधिकारियों के समक्ष दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने को, जिसके लिए मुख्यालय से अलग से अनुदेश जारी किए गए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना मुहैया करने से उलझाया नहीं जाना चाहिए। वे दूसरे क्षेत्रों में लागू होते हैं। जबकि आपराधिक नियम और अदालत के समक्ष साक्ष्य की शर्तों में कानूनी उलझाव है और बाद वाला मुख्यतः सिविल नियम में लागू होता है और उसका कार्यक्षेत्र और प्रचालन भिन्न है।

investigating authorities should be advised not to identify any individual officer connected at any stage with the finalization of audit report of the C&AG of India. The letter No.242/41/65-AVD dated 1st June, 1965 issued by the Ministry of Home Affairs provides for permitting the Investigating Officer of the Police Department to take statement from Accountant General's officers/officials in the presence of an officer nominated by the Accountant General for the purpose. Therefore, the police or other investigating authorities may be advised to take statements of officers/officials in the audit office itself in the presence of an officer nominated by the Accountant General if, in any exceptional case, questioning of such officers/officials is considered necessary by the police.

- 11) Is there some correlation between the production of documents before police or investigating authorities and providing information under the Right to Information Act, 2005?
- No. Producing documents before police and investigating authorities should not be confused with providing information under the Right to Information Act, 2005, for which separate instructions were issued from Headquarters Office. They operate in different fields. While the former has legal implications in terms of criminal law and evidence before courts, the latter mainly operates in the civil law and has different scope and operation.

अनुबंध -I
(पैरा - 2)

फाईल सं. 22/1/50-पी. II

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली -2, 26 मई 1952

श्री यू.के. घोशाल, आई.सी.एस
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी राज्य सरकार

वि=ाय: लेखापरीक्षा कार्यालयों के अधिकार में दस्तावेजों का पुलिस द्वारा उपयोग।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त वि=ाय पर आपको सम्बोधित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पास पहुँचने वाली सूचना से यह प्रतीत होता है कि कभी-कभी पुलिस अभिरक्षा में पुलिस दस्तावेजों, जिसकी पुलिस ने जाँच-पड़ताल करने के अनुसरण के सम्बन्ध में याचना की है, को परिवर्ती उपलब्ध कराने के बारे में मामले की जाँच पड़ताल करते हुए पुलिस अधिकारियों और लेखापरीक्षा अधिकारियों के मध्य कतिपय गलतफ़हमी हो गई। भारत सरकार की राय में, कोई ऐसी गलत फ़हमी अनावश्यक और परिहार्य होने के अतिरिक्त विशेष=ा रूप से खेदजनक है जिसमें वे पूर्णतः गलत धारणा सृजित करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो पुलिस और लेखापरीक्षा के परम हितों में विरोध कर रहे हों। वास्तव में जैसा कि राज्य सरकार को सहमत होने में कोई सन्देह नहीं होगा फिर भी विद्यमान हितों में ऐसा कोई विरोध नहीं होगा चूंकि सरकार के हितों को बचाने में पुलिस की अपेक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय की अत्यावश्यक रूप से कम रुचि नहीं है जो हमारी प्रणाली में लोक हितों के साथ समानार्थी है और उस मामले में पुलिस से भिन्न है जिसमें अपराधियों की एक न्यायिक सजा को सुरक्षित रखने के लिए यह एक साधन नहीं है। जहाँ आरोपित अपराध केवल पुलिस से सम्बन्धित हैं और लेखापरीक्षा के हित में नहीं हैं वहाँ लेखापरीक्षा कार्यालय की अभिरक्षा में दस्तावेजों को शामिल करते हुए मामले को समझना कठिन है। संविधान और वित्तीय क्रिया-विधि के पूर्ण-स्थापित और पुराने नियमों के अन्तर्गत दोनों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (और उसके अन्तर्गत महालेखाकार और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों) के पास मात्र ड्यूटी नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निधियों का ठीक प्रकार से और नियमानुसार प्रबन्ध किया गया और जहाँ उल्लंघन हुआ अथवा सन्देह है, उस मामले का पूरी तरह से संवीक्षा करने का उत्तरदायित्व भी है। यह उनकी विशेष=ा और विशि=ट जिम्मेवारियाँ हैं जिसने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अपने

Annexure – 1
(Para –2)

File No. 22/1/50-P.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
New Delhi – 2, the 26th May 1952

From

Shri U.K. Ghoshal, I.C.S
Deputy Secretary to the Government of India,

To

All State Governments.

Subject: - Utilisation by the Police of documents in the possession of Audit Offices.

Sir,

I am directed to address you on the above subject and to say that, from information reaching the Government of India, it appears that on occasions there has been a certain amount of misunderstanding between the police Officers investigating a case, and the Audit Officers, in respect of the latter making available to the Police documents in their custody which the Police have asked for in connection with the pursuit of the investigation. In the opinion of the Government of India, any such misunderstandings apart from being unnecessary and avoidable are particularly unfortunate in that they may tend to create the wholly erroneous notion that the ultimate interests of the Police and the Audit are conflicting. In actual fact as the State Government will no doubt agree, no such conflict of interest exists, since the Audit Office is no less vitally interested than the Police in protecting the interests of Governments, which, in our system is synonymous with public interests, and differs from the Police only in that it is not an instrument for securing a judicial punishment of offenders. It is difficult to conceive of a case involving documents in the custody of an Audit Office where the alleged offence concerns only the Police and is of no interest to Audit. Both under the Constitution and the well-established and long-standing rules of financial procedure, the Comptroller & Auditor General (and under him the Accountants-General and other subordinate officers) have not only the duty but also the responsibility of ensuring that public funds are administered correctly and in accordance with law, and of conducting a thorough scrutiny into any case where a breach has occurred or is suspected. It is these special and specific responsibilities that have let the Comptroller & Auditor General to issue instructions to his subordinate officers to decline to part with original documents in their possession.

अधीनस्थ अधिकारियों को उनके अधिकार में मूल दस्तावेजों से कर्तव्य की ओर अग्रसर होने के लिए अनुदेश जारी करने की अनुमति दी है। यह पुलिस जाँच-पड़ताल के मार्ग में किसी अनावश्यक कठिनाई को रखने के तुच्छतम इरादे को समाविष्ट नहीं करती और पुलिस जाँच पड़ताल को सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से हर एक यथोचित मदद प्राप्त करनी चाहिए, और वास्तव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उत्सुकता को उनके अनुदेश देने वाले अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि अवलोकन करने, संवीक्षा करने और प्रतिलिपि तैयार करने (जिनमें छाया प्रतियों का लेना भी शामिल है) के उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा को मूल दस्तावेजों को निःसर्कच उपलब्ध कराया जाना है। भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकार तुरन्त स्वीकार करेगी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुदेश पुलिस जांच पड़ताल की मदद करने के प्रति लम्बे समय तक प्रचलित रहेंगे।

2. तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विद्यमान अनुदेश पुलिस जाँच पड़ताल से सम्बन्धित दो विशेष पहलुओं नामतः (i) सुविज्ञ राय के लिए विवादित दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक को मूलदस्तावेजों का सम्प्रेषण और (ii) गवाहों द्वारा पहचान करने के लिए मूल दस्तावेजों का उपयोग, को पूरी तरह कवर नहीं करता। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से इन पहलुओं की जाँच बहुत सावधानीपूर्वक भारत सरकार द्वारा की गई है और इससे प्राप्त हुए निर्णयों को नीचे स्पष्ट किया गया है। इन निर्णयों को पुलिस जांच-पड़ताल के हितों और उनकी लेखापरीक्षा जिनके हितों को उसी संव्यवहार में जो पुलिस जांच पड़ताल के अध्यक्ष होते हैं, को पूर्ण और औपचारिक पूछताछ तक विस्तृत कर सकते हैं, के मध्य एक सन्तुलन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्पष्ट किया जा सकता है। भारत सरकार को आशा और विश्वास है कि इन निष्कर्षों के कार्यान्वयन में वे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार से और अधीनस्थ एजेंसियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे।

3. जहाँ पुलिस को अपनी जांच पड़ताल के दौरान विवादित दस्तावेजों (शिमला) के सरकारी परीक्षक की राय की आवश्यकता है वहाँ निम्नवत कार्यवाही की जाएगी। जांच पड़ताल अधिकारी लेखापरीक्षा अधिकारी को परवर्ती के अधिकार में मूल दस्तावेजों जिस पर विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक की राय अपेक्षित है, की एक सूची प्रस्तुत करेगा और इन दस्तावेजों को विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक को अग्रोहित करने के लिए उससे अनुरोध करते हुए विशेष बिन्दुओं जिस पर उसकी राय के लिए अनुरोध किया जा रहा है, को भी इंगित करेगा। इस सम्प्रेषण की एक प्रति जांच पड़ताल अधिकारी द्वारा विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक को सीधे भेजी जाएगी। उस पर लेखापरीक्षा अधिकारी विवादास्पद दस्तावेजों को सीधे विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक को अग्रोहित करेगा और अपने कवरिंग पत्र में जांच पड़ताल अधिकारी के पत्रव्यवहार को बताएगा ताकि विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक पुलिस मामलों के दस्तावेज को लिंक करने के सम्बन्ध में समर्थ हो सकें। विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक अपनी राय जांच पड़ताल अधिकारी को भेजेंगे और

This does not imply the slightest intention of placing any unnecessary difficulties in the way of Police investigation, and, in fact, the anxiety of the Comptroller & Auditor General to ensure that Police investigation should receive every reasonable help from his subordinate officers is demonstrated by his instructing the subordinate officers that original documents are to be made available to the Police freely at the Audit Office for the purpose of perusal, scrutiny, and copying (including the taking of photostatic copies). The Government of India hope that the state Government will readily concede that the instructions issued by the Comptroller & Auditor General go a long way towards assisting Police investigations.

2. The existing instructions of the Comptroller & Auditor General, however, do not fully cover two particular aspects connected with Police investigation; namely, (i) the transmission of original documents to the Government Examiner of Questioned Documents for expert opinion, and (ii) the use of original documents by the Police for identification by witnesses. These aspects have been examined by the Government of India very carefully in consultation with the Comptroller & Auditor General, and the decisions arrived at are explained below. These decisions, it may be explained, aim at achieving a balance between the interests of Police investigation and those of Audit whose interests may extend to a full and formal enquiry into the same transaction that forms the subject of Police investigation. The Government of India hope and trust that in the implementation of these conclusions they and the Comptroller & Auditor General will receive the fullest co-operation from the State Government and from subordinate agencies.

3. Where the Police, in the course of their investigations, require the opinion of the Government Examiner of Questioned Documents (at Simla) the following action will be taken. The investigating Officer will furnish the Audit Officer with a list of the original documents in the latter's possession on which the opinion of the Government Examiner of Questioned Documents is required, and in making a request to him to forward these documents to the Government Examiner of Questioned Documents also indicate the particular points on which his opinion is being solicited. A copy of this communication will be addressed by the Investigating Officer direct to the Government Examiner of Questioned Documents. The Audit Officer will, thereupon, forward the documents in question direct to the Government Examiner of Questioned Documents and will refer in his covering letter to the Investigating Officer's communication, so as to enable the Government Examiner of Questioned Documents to link the document to the Police case. The Government Examiner of Questioned Documents will communicate his

परिवर्त्ती से प्राप्त हुए दस्तोवजो को सीधे लेखापरीक्षा अधिकारी को वापस भेजा जाएगा। उन मामलों में जहां लेखापरीक्षा अधिकारी ने विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक से अपनी राय की एक प्रतिलिपि की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है वहाँ अनुरोध का अनुपालन किया जाएगा। यह आवश्यक है कि विवादित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक को/के द्वारा दस्तोवजो का स्थानान्तरण अत्याधिक सावधानी से नि=पादित किया जाए और उस सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश इस पत्र के परिशि=ट में निर्दि=ट हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित दूसरी मद के सम्बन्ध में आशा है कि अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा कार्यालय के अन्दर दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रतियों के लेने (छायांकित प्रतियों सहित) की सुविधा को पुलिस जांच पड़ताल के प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाया जाएगा। जहाँ मूल दस्तावेज जांच पड़ताल की प्रक्रिया के दौरान गवाह को दिखाये जाने हैं, वहाँ बहुत से मामलों में सम्भव हो सकता है कि उसे लेखापरीक्षा कार्यालय में ही लाया जाए। तथापि भारत सरकार कल्पना कर सकती है कि कुछ बहुत से अपवादात्मक मामले हो सकते हैं, जिसमें यह प्रक्रिया व्यवहार्य नहीं होगी और पुलिस मूल दस्तोवजो को अस्थाई रूप से अभिरक्षा में लिए बिना उनकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने में स्वयम् को असमर्थ पा सकती है। इस प्रकार के प्रत्येक मामले में यह अनुरोध है कि कृपया एक सन्दर्भ गृह-मंत्रालय को पूरे कारणों को देते हुए भेज दिया जाए। मंत्रालय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह निर्णय लेगा कि क्या पुलिस को लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले मूल दस्तावेजों के लिए मामला स्थापित हो गया है और उपयुक्त आदेशों के जारी करने के लिए प्रबन्ध किया गया है। जहाँ लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पुलिस को मूल दस्तावेज सुपुर्द करने के लिए अनुदेश दिए हैं, वहाँ उनकी एक छायांकित प्रति ऐसे समय तक रोकने के लिए जब तक मूल दस्तावेज उनको वापस नहीं होते, पुलिस द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को सौंपने के लिए ली जाएगी। सभी मामलों में लेखापरीक्षा अधिकारी न्यायालय से इस बारे में प्राप्त होने वाले मूल दस्तावेजों को माँग करने पर विधि न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और यदि न्यायालय धारा 104 अपराध दण्ड संहिता के अन्तर्गत जब्त करने की शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए चुनता है तो दस्तावेज लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय की अभिरक्षा में छोड़ दिये जाएंगे। जहाँ तक पुलिस अधिकारियों के समक्ष दस्तोवजो के प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है वहाँ उपर्युक्त दर्शाई गई व्यवस्थाएं धारा 94 अपराध दण्ड संहिता के अन्तर्गत आश्रय लेने के लिए इसे अनावश्यक बना देगी और भारत सरकार की राय में किसी भी घटना में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुदेशों के अन्तर्गत कार्य करने वाले लेखापरीक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में इन शक्तियों का उपयोग करना पुलिस के लिए पूर्णतः अनावश्यक और अनुपयुक्त हो जाएगा।

opinion to the Investigating Officer and will return to the Audit Officer direct the documents received from the latter. In cases where the Audit Officer has made a request to the Government Examiner of Questioned Documents for being supplied with a copy of his opinion, the request will be complied with. It is necessary that the transfer of documents to and by the Government Examiner of Questioned Documents should be executed with extreme care, and detailed instructions in connection therewith, are set out in the Annexure to this letter.

4. In regard to the second item mentioned in para 2 above, it is hoped that in the majority of cases the facility of inspection of documents within the Audit Office and the taking of copies (including photostatic copies) will be found to be adequate for the purpose of Police investigation. Even where the original document has to be shown to a witness during the process of investigation, it may be possible in many cases to have that carried out at the Audit Office. The Government of India however, visualize that there may be some very exceptional cases in which this procedure will not be practicable and the Police may find themselves unable to proceed with their investigation without obtaining temporarily the custody of the original documents. In each case of this type, it is requested that a reference may kindly be made, giving full reasons, to the Ministry of Home Affairs. This Ministry would then decide, in consultation with the Comptroller & Auditor General, whether the case for the original documents being handed over by the Audit Officers to the Police has been established, and arrange for the issue of appropriate instructions. Where the Audit Officers are instructed to make over the original document to the Police, a Photostat copy thereof will be taken by the Police to be handed over to the Audit Office for retention, till such time as the original is returned to them. In all cases the Audit Officer will produce the original documents in a Court of Law on a requisition to this effect being received from the Court, and if the Court chooses to employ powers of impounding under Sec. 104 Cr. P.C. the document will be left by the Audit Officer in the Court's custody. So far as production of documents before the Police Officer is concerned, the arrangements indicated above would make it unnecessary to resort to Sec. 94 Cr. P.C., and, it would, in the opinion of the Government of India, be in any event wholly unnecessary and inappropriate for the police to exercise these powers in relation to an Audit Officer acting under the instructions of the Comptroller & Auditor General.

5. मुझे आशा व्यक्त करने का निदेश हुआ कि राज्य सरकार भारत सरकार से सहमत होगी कि इस पत्र में दर्शाई गई प्रक्रिया रखरखाव और आपसी सहयोग को सुदृढ़ता प्रदान के लिए सहायक होगी जिसे राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और भारत सरकार सभी चाहते हैं।

6. दिनांक 26 मई 1952 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 132-प्रशासन/51-स्थायी III के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी अनुदेशों की एक प्रति भी आपको सूचनार्थ सलंग्न है।

भवदीय,

(यू के घोशाल)

उप सचिव, भारत सरकार

5. I am directed to express the hope that the State Government will agree with the Government of India that the procedure indicated in this letter would be conducive to the maintenance and strengthening of mutual co-operation which the State Government, the Comptroller & Auditor General and the Government of India all desire.

6. A copy of the instructions issued by the Comptroller & Auditor General under D.O. No. 132-Admn/51-Pt.III dated the 26th May 1952 to his subordinate officers is also enclosed, herewith, for your information.

Yours faithfully,

(U.K. Ghoshal)

Deputy Secretary to the Government of India

अनुबन्ध-II

(पैरा 2)

गृह मंत्रालय का पत्रांक 47/4/55-पुलिस (आई), दिनांक 15 जुलाई, 1955

इस मंत्रालय के परिपत्र सं. 22/1/50-पी- II, दिनांक 26 मई 1952 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई राय पर भलीभांति विचार किया गया है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सन्दर्भाधीन परिपत्र के पैराग्राफ 3 तथा 4 में वर्णित वर्तमान पद्धति को निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए:

- (क) जिन मामलों में जांच अधिकारी यह समझता है कि मूल दस्तावेजों, जो कि लेखापरीक्षा कार्यालयों के अधिकार में हैं, को प्राप्त किए बिना जांच प्रारम्भ करना संभव नहीं है, उस मामले को महानिरीक्षक, विशेष=I पुलिस बल या उसके पुलिस महानिरीक्षक, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना चाहिए। महानिरीक्षक, विशेष=I पुलिस बल या उसके पुलिस महानिरीक्षक को जांच अधिकारी के अनुरोध की भलीभांति जांच करके और अपनी सन्तुष्टि करके कि मूल दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य है, मामले को सम्बन्धित महालेखाकार को इस अनुरोध के साथ भेजना चाहिए कि वांछित दस्तावेजों को जांच अधिकारी को मूल रूप में सौंप दिया जाए। उसे स्प=ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि फोटो स्टेट कापियों सहित कापियों से जांच अधिकारी के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके पश्चात् महालेखाकार फोटो कापियां रखने के बाद यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र वांछित दस्तावेजों को पुलिस को सौंपने की व्यवस्था करेगा।
- (ख) फोटो कॉपियों की तैयारी का उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा कार्यालय का होगा। मुम्बई, मद्रास, नई दिल्ली तथा कोलकाता स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों में फोटो कॉपी मशीनें लगाई जा चुकी हैं तथा भवि=य में कुछ अन्य कार्यालयों में भी इन मशीनों को उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है। उन लेखापरीक्षा कार्यालयों के मामले में जहां फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे कार्यालय, उन कार्यालयों, जहां फोटो कॉपी मशीन लगा दी गई हैं, में से किसी एक कार्यालय से फोटो कापियां तैयार करवायेंगे।
- (ग) जिन राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में हस्तलेखन या उंगलियों के निशानों के विशेष=I उल्लेख हैं तथा पुलिस मामले को शिमला स्थित प्रश्नाधीन दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षक को भेजने की बजाए उनकी सेवाएं लेना चाहती है तो यह तरीका अपनाने में कोई आपत्ति न होगी। तथापि, जहां हस्तलेखन अथवा उंगलियों के निशान के विशेष=I उल्लेख

Annexure – II
(Para 2)

Ministry of Home Affairs letter No. 47/4/55-Police (I), dated 15th July, 1955

In continuation of this Ministry's circular letter No. 22/1/50-P.II., dated the 26th of May 1952, I am directed to say that the views expressed by State Governments have been carefully considered and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, it has been decided that the existing procedure laid down in paragraphs 3 & 4 of the circular letter under reference should be modified to the extent indicated below:

- (a) In cases where the Investigating Officer considers that it is not possible to proceed with the investigation without securing the original documents which are in the possession of Audit Offices, the matter should be reported by him to the Inspector General, Special Police Establishment or his Inspector General of Police as the case may be. The Inspector General, Special Police Establishment or his Inspector General of Police after carefully examining the request of the Investigating Officer and satisfying himself that there is sufficient justification for obtaining the original documents should refer the matter to the Accountant General concerned with the request that the required documents be handed over to the Investigating Officer in original. He should expressly mention that copies including Photostat copies would not serve the purpose of the Investigating Officer. The Accountant General will then arrange for the required documents being handed over to the police, as early as possible after retaining Photostat copies.
- (b) The responsibility for preparing Photostat copies will be that of the Audit Offices. Photo-copying machines have been installed in the audit offices at Bombay, Madras, New Delhi and Calcutta and it is likely that some more offices will be provided with these machines in the future. In the case of audit offices where these facilities do not exist at present such offices will have the Photostat copies prepared in one of the offices where a photocopying machine has been installed.
- (c) Where the State Government has under its direct control Handwriting or a Finger-print Expert and the Police wish to utilise his services rather than refer the matter to the Government Examiner of Questioned Documents at Simla, there would be no objection to this course being followed. Where, however, the Handwriting or the Finger-print Expert is

पुलिस के नियंत्रणधीन हैं, वर्तमान पद्धति जारी रहेगी। राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्यरत हस्तलेखन अथवा चंगलियों के निशान के विशेषज्ञ को ऐसे दस्तावेज प्रेषित करने के मामले में, शिमला स्थित प्रश्नाधीन दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षक को डाक द्वारा दस्तावेजों को प्रेषित करने की वर्तमान पद्धति आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

2. इस पत्र में इंगित संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुदेशों की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

under the control of the Police, the existing procedure will continue. The existing procedure laid down for the transmission of documents by post to the Government Examiner of Questioned Documents at Simla will apply mutatis mutandis in cases where such documents are transmitted to the Handwriting or the Finger-print Expert working under the control of the State Government.

2. A copy of the instructions issued by the Comptroller and Auditor General to give effect to the modifications indicated in this letter is enclosed for information.

अनुबन्ध-III
(पैरा 2)

गृह मंत्रालय का पत्रांक 17/11/64-एवीडी, दिनांक 13 मार्च 1964

इस मंत्रालय के पत्रांक 47/4/55-पुलिस (आई) दिनांक 15 जुलाई 1955 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के पैराग्राफ 1(क) के अनुसार, केवल आईजी, एसपीई तथा पुलिस महानिरीक्षक को ही लेखापरीक्षा कार्यालयों से मूल दस्तावेज मंगवाने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1 अप्रैल 1963 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के गठन से ही अतिरिक्त आईजी, एसपीई तथा संयुक्त निदेशक, सीबीआई, एसपीई से सम्बन्धित मामलों में लेखापरीक्षा से दस्तावेज मंगवाने के अधिकतर अनुरोधों का कामकाज देख रहे हैं। इसलिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त आईजी, एसपीई को भी सीधे लेखापरीक्षा कार्यालयों से दस्तावेज मंगवाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए।

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा अधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है।

**Annexure – III
(Para – 2)**

Ministry of Home Affairs letter No. 17/11/64-AVD, dated 13th March, 1964

In continuation of this Ministry's letter No. 47/4/55-Police (I), dated 15th July, 1955 I am directed to say in accordance with Para 1(a) of the letter, only I.G., S.P.E. and Inspections General of Police were authorized to requisition original documents from the Audit Offices. With the inception of the Central Bureau of Investigation with effect from 1st April, 1963, the Additional I.G., S.P.E., and Joint Director, C.B.I. is looking into most of the requests for requisitioning documents from Audit in connection with S.P.E. cases. It has, therefore, been decided in consultation with the Comptroller and Auditor General of India that Addl. I.G., S.P.E. may also be authorized to requisition documents direct from the audit offices.

2. The Comptroller and Auditor General of India is being requested to issued suitable instructions to Audit Officers.

अनुबंध-IV

(पैरा -4)

गोपनीय

सं. 1704.टीए I/591-65

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का कार्यालय, नई दिल्ली

दिनांक 16 जून 1967

सेवा में

सभी महालेखाकार (महालेखाकार मद्रास को छोड़कर)

विषय: लेखापरीक्षा अधिकारियों के अधिकार में रखे गए दस्तावेजों का पुलिस एवं अन्य जांच अधिकारियों द्वारा उपयोग

महोदय,

मैं उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के अ.शा. पत्र सं. 132-प्रशा-52/भाग. II दिनांक 23.2.52 तथा इस सम्बन्ध में बाद में जारी अनुदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ तथा उल्लिखित करता हूँ कि हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि एसपीई एवं अन्य जांच अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्टें, स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा रिपोर्टें, केन्द्रीय लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियाँ आदि की प्रतियाँ भेजने का अनुरोध करते रहे हैं। कुछ मामलों में ड्राफ्ट निरीक्षण रिपोर्टें तथा रफ नोट, जिनके कारण ये रिपोर्टें जारी की गईं, भी मांगे गए।

2. अतः एक प्रश्न पैदा हुआ है कि क्या ये दस्तावेज़ 'मूल दस्तावेजों' की श्रेणी में आते हैं तथा पुलिस तथा अन्य जांच अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। मामले की ध्यानपूर्वक जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि आईएएडी द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्टें तथा आपत्ति ज्ञापनों आदि में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई विभिन्न अनियमितताएं तथा दोषाहित हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चाधिकारियों को, समुचित स्तर पर, जहां आवश्यक हो, प्रतियों सहित सम्बन्धित विभाग को जारी की जाती हैं और विभाग से उत्तर की प्राप्ति पर उनकी पुनः जांच एवं समीक्षा की जाती है और इसलिए उन्हें लेखापरीक्षा का अन्तिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। उन्हें इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-9/321-प्रशा. I/53-भाग IV दिनांक 15.7.55 तथा संख्या 783-टीए I/147-64 दिनांक 28.3.64 में प्रयुक्त 'मूल दस्तावेज़' शब्द के क्षेत्र के अन्दर भी नहीं लाया जा सकता। अतः एसपीई को उसकी जांच के लिए निरीक्षण रिपोर्टें आदि उपलब्ध कराना सही नहीं होगा। चूंकि मूल निरीक्षण रिपोर्टें/आपत्ति ज्ञापन पहले ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों, को जारी कर दिए गए हैं, अतः एसपीई आदि, यदि आवश्यक हो, तो टिप्पणियों, रफ नोटों की प्रतियों के लिए विभागीय

Annexure - IV
(Para -4)

SECRET

No. 1704-TA I/591-65

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA,
NEW DELHI.

Dated the 16th June 1967

To

All Accountant General (Except A.G. Madras)

Sub: Utilisation by Police and other investigating officers of
documents in the possession of Audit Offices.

Sir,

I am to invite a reference to this office D.O. letter No. 132-Admn-52/Pt.II dated 23.2.52 and subsequent instructions issued in this regard on the subject indicated above and to state that it has been brought to our notice that S.P.E. and other investigating officers have been requesting the Audit Officers to furnish copies of Inspection Reports, Local Test Audit Reports, copies of correspondence relating to objections raised in Central Audit, etc. etc. In certain cases draft Inspection Reports and rough notes leading to issue of these reports have also been called for.

2. A question has, therefore, arisen whether these documents fall within the category of 'original documents' and can be supplied to the Police and other investigating officers. The matter has been carefully examined and it has been decided that the Inspection Reports and objection memos etc. issued by the IAAD, contain the various irregularities or defects noticed by Audit, which according to the prescribed procedure, are issued to the Department concerned with copies to higher authorities, at appropriate level, where necessary and are subject to further examination and review, on receipt of replies from the Department and as such cannot be considered to be final conclusions of Audit. They cannot also be brought within the scope of the term 'Original documents' used in this office circular letter No. C-9/321-Admn.I/53-Vol.IV dated 15.7.55 and No. 783-TA.I/147-64 dated 28.3.64. It will not, therefore, be correct to make available the inspection

अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक न्यायालय में निरीक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में श्री जी स्वामीनाथन के परिपत्र संख्या 418-प्रशा. I/165-57 दिनांक 9.2.59 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तथापि, एसपीई को यह सूचित किया जा सकता है कि निरीक्षण रिपोर्टों/आपत्ति ज्ञापनों में लिए गए किन्हीं विशिष्ट विषयों पर किसी तकनीकी विवरण की व्याख्या में ऐसी सहायता जिसे वे आवश्यक समझते हैं, लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 22/1/50-पी. II दिनांक 14.1.54 के साथ संलग्न नोट के पैरा 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

आपका भवदीय,

reports etc. to the S.P.E. for their investigation. As the original inspection reports/objection memos have already been issued to the departmental officers concerned, the S.P.E. etc. may, if necessary, contact the departmental officers for copies of the notes, rough notes to the S.P.E.. A reference is invited to Shri G.Swaminathan's circular D.O. letter No. 418-Admn.I/165-57 dated 9.2.59 regarding production of Inspection Reports in a Court of law. The S.P.E. may, however, be informed that such assistance as they find necessary in elucidation of any technical details on any specific points taken in the Inspection Reports/objection memos, will be rendered by Audit Officers according to the procedure laid down in para 8 of the note enclosed to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs O.M.No.22/1/50-P.II, dated 14.1.54.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

अनुबंध-V

पैरा-5 (क)

सं.155-लेखापरीक्षा(एपी)/8-2003

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

कार्यालय

दिनांक 30.10.2003

सेवा में

सभी महानिदेशक/प्रधान म. ले./म. ले. (लेखापरीक्षा)
सभी प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वाणिज्यिक, रेलवे,
रक्षा एवं पीटी सहित)
प्र. महालेखाकार/लेखाकार (ले व हे)

वि=ाय: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सामग्री/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गोपनीयता

महोदय/महोदया,

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जब तक संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें गोपनीय दस्तावेज़ माना जाता है। तदनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समस्त सामग्री, संसद/विधानमण्डल को प्रस्तुतीकरण की अन्तिम अवस्था तक सरकार/विभागों को प्रारम्भिक ड्राफ्ट पैराग्राफों को जारी करने की अवस्था से ही कड़ाई से गोपनीय मानना पड़ेगा। इस कार्यालय के पत्र सं. 1752/रिपोर्ट/256-68 दिनांक 2.9.1968 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, जब तक उन्हें संसद/राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, गोपनीय दस्तावेज़ों के रूप में माना जाना चाहिए।

यह देखने के लिए, कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सामग्री उनके विधानमण्डल को प्रस्तुत किए जाने तक बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग हेतु रक्षित है, प्रत्येक अवस्था पर पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। गोपनीय माने जाने वाले ड्राफ्ट पैराओं/समीक्षाओं पर भी, उन्हें अनुभोदनार्थ मुख्यालय को अथवा तथ्यों के सत्यापन अथवा टिप्पणियां मंगवाने के लिए विभागीय कार्यालयों आदि को भेजते समय, गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन पर निरपवाद रूप से गोपनीय चिन्हित किया जाना चाहिए।

Annexure – V

Para – 5(a)

No. 155-Audit (AP)/8-2003

**OFFICE OF THE COMPTROLLER
AND AUDITOR GENERAL OF INDIA**

Date: 30.10.2003

To

All Directors General/Principal AsG/AsG. (Audit)
All Principal Directors of Audit (including Commercial,
Railways, Defence & PT)
Pr. Accountants General/Accountants General (A&E)

**Subject: - Confidentiality of materials of Audit Reports/Audit
Reports**

Sir/Madam

According to existing instructions Audit Reports are treated as confidential documents till they are presented to Parliament/State Legislature. Accordingly, all materials relating to the Audit Reports will have to be treated as strictly confidential right from the stage of issue of preliminary draft paragraphs to Government/Departments till the final stage of presentation to the Parliament/Legislature. Attention is also drawn to this office letter No. 1752/Reports/256-68 dated 2-9-1968 which provides that Audit Reports are to be treated as confidential documents till these are presented to Parliament/ State Legislature.

Adequate care should be taken at every stage to see that the Audit Report materials are secured against use by outsiders till they are presented to the Legislature. The draft paras/draft reviews which are also considered as confidential, should be marked invariably as confidential in order to maintain secrecy, while sending them either to the Headquarters office for approval or to the Government of India, State Government, departmental offices etc. for verification of facts or calling for comments.

These instructions may be strictly followed in future to ensure that the information contained in the Audit Reports are not accessible to the Press, Public or any outside agencies. These may also be brought

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सूचना प्रेस, पब्लिक अथवा किन्हीं बाहरी एजेंसियों तक न पहुंचे, इन अनुदेशों का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इनका कड़ाई से पालन किए जाने के लिए इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए।

इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

आपका भवदीय,

(ए.बासु)

महानिदेशक (लेखापरीक्षा)

to the notice of all the officers/staff connected with Audit Report work for strict compliance.

Any breach of the instructions will be viewed seriously.

Yours faithfully,

(A.Basu)

Director General (Audit)

अनुबंध-VI

पैरा 5(एफ)

सचिव, पश्चिम बंगाल, (i) गृह विभाग (पुलिस), (ii) गृह (भ्र=टाचार-रोधी) विभाग, कलकत्ता के नाम भेजे गए, जिसकी प्रति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को उनके यू ओ नोट सं. 1357-तक-प्रशा. I/99-65, दिनांक 5.5.1965 के संदर्भ में प्रेषित की गई, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के गोपनीय पत्र सं. 242/41/65-एवीडी दिनांक 1.6.1965 की प्रति।

वि=ाय: उन दस्तावेजों की मांग जो लेखापरीक्षा कार्यालयों की अभिरक्षा में हैं।

उपरोक्त वि=ाय पर राज्य सरकार के पत्र सं. 372-पीएलएस, दिनांक 22.12.1964/ सं.320/एसी/1 एम-4/65 दिनांक 3.2.1965 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस बात से सहमत हो गए हैं कि महालेखाकार से मूल दस्तावेज मांगने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को भी उसी ढंग से शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं जैसे कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के गोपनीय पत्र संख्या 47/4/55- पुलिस(1) दिनांक 15.07.1965 में महानिदेशक पुलिस के लिए निर्धारित की गई हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा अधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है।

जहां तक दो=ी अधिकारी के जांच अधिकारी द्वारा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों की मौखिक जांच का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पुलिस विभाग के जांच अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए महालेखाकार द्वारा नामित लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में म.ले. के कर्मचारियों से पूछताछ करने तथा उनका बयान लेने की अनुमति है। दूसरी ओर विभागीय पूछताछ अधिकारी के समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए ले जाने वाले संदेशवाहक से मौखिक साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर निरीक्षण रिपोर्टें, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर संसाधित की जाती हैं तथा वे समग्र कार्यालय के मत को अभिव्यक्त करती हैं, तथा किसी विशेष=I अधिकारी अथवा अधिकारियों के समूह के साथ निरीक्षण के समय उठाए गए किसी विशेष=I वि=ाय की पहचान करना सही नहीं होगा। अतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

Annexure –VI

Para 5(f)

Copy of secret letter No. 242/41/65-AVD dated 1.6.1965 from the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi addressed to the Secretary to the Govt. of West Bengal, (i) Home Department (Police), (ii) Home (Anti-Corruption) Department, Calcutta and copy forwarded to the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi with reference to their U.O. Note No. 1357 Tech-Admn. I/199-65, dated 5.5.1965.

Subject: Requisition of documents in the custody of Audit offices.

With reference to the State Government's letter No. 372-PLS, dated 22.12.1964/No.320/AC/1m-4/65 dated 3.2.1965 on the subject noted above, I am directed to say that the Comptroller and Auditor General of India has agreed that the Additional Inspector General of Police, West Bengal, may also be delegated powers to requisition original documents from the Accountant General in the same manner as the Inspector General of Police viz. as laid down in the Government of India, Ministry of Home Affairs Secret letter No. 47/4/55-Police(1) dated 15.07.1965.

The Comptroller & Auditor General of India is being requested to issue suitable instructions to Audit Officers.

As regards the oral examination of the staff of Indian Audit & Accounts Department by the enquiry officer of the delinquent officer, I am to say that according to the existing arrangements the Investigating Officer of the Police Department is permitted to interrogate and take statements from the AG's staff in the presence of an officer of the Audit Department nominated by the Accountant General for the purpose. On the other hand the messenger who carries the original records for production before the Departmental Enquiry Officer cannot be expected to give an oral evidence, as the Inspection Reports on Audit Reports are processed at various stages in the Indian Audit and Accounts Department and they represent the views of the office as a whole, and it will not be correct to identify any particular point raised in the course of inspection with any particular officer or set of officers. The Comptroller and Auditor General does not, therefore, agree to proposals contained in the State Government's letter dated 3.2.1965 referred to above and feels that the existing arrangements in this behalf are adequate.

संख्या-26011/40/2009 आई पी एस - II

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

सेवा में,

भारत के सभी पुलिस महानिदेशक
(मानक सूची के अनुसार)

वि=ाय:- लेखापरीक्षिती संगठनों में घटित हुए विभिन्न अपराधों की जांच के सम्बन्ध में पुलिस/जांच प्राधिकारियों द्वारा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों से साक्ष्य के रूप में अभिलेखों तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों को बयान लेने हेतु तलब करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त वि=ाय पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 20.08.2009 के परिपत्र संख्या 366 लेखापरीक्षा (ए पी)/1-2009 की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रणीत करने का निदेश हुआ है ।

संलग्नक:यथोपरि

भवदीय,
के. नटराजन
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रति निम्नलिखित को:-

1. निदेशक यू.टी.एस, गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली - उक्त परिपत्र की प्रति के साथ इस अनुरोध सहित कि उपर्युक्त परिपत्र को ए.जी.एम.यू. संवर्ग में महानिदेशक पुलिस को परिचालित किया जाग ।
2. उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (श्री ए.एन. चटर्जी) कार्यालय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली को उनके अर्धशासकीय पत्र संख्या 376 लेखापरीक्षा (ए.पी.)/1-2009 दिनांक 25 अगस्त 2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
3. गृह मंत्रालय (श्री अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव, सतर्कता), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-12020/11/2009 बी सी दिनांक 29.09.2009 को सूचनार्थ ।

No. 26011/40/2009-IPS-II
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi – 1
Dated the 16th October, 2009

To

All Directors General of Police of States
(As per Standard List)

Subject:- Summoning of records for evidence and IA&AD officials for obtaining statements from the offices of the IA&AD by the Police/Vigilance Authorities in connection with the investigation of various offences committed in auditee organization:-
Reg.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of Circular No. 366-Audit(AP)/1-2009 dated 20.08.2009 issued by office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi on the subject cited above for your information and necessary action.

Yours faithfully,

(K. Natarajan)
Under Secretary to the Government of India

Encl: As above

Copy to :-

1. Director, UTS, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi – Alongwith a copy of the aforesaid Circular with a request that the above Circular may be circulated to the DGPs in AGMU Cadre.
2. Office of the Comptroller and Auditor General of India (Sh. A.N. Chatterji, Deputy Comptroller and Auditor General), 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi – w.r.t. their DO No. 376-Audit(AP)/1-2009 dated 25th August 2009 for information.
3. Ministry of Home Affairs (Shri Arvind Mukherjee, Under Secretary, Vig.), North Block, New Delhi – w.r.t. their OM No. C-12020/11/2009-VC dated 29.09.2009 for information.